# न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

**अपील सं. 33/2025**

1. प्रहलाद सिंह पुत्र श्री लूण सिंह जाति राजपूत निवासी टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज०)।

अपीलांट

बनाम

1. प्रदीप सिंह पुत्र श्री लूण सिंह जाति राजपूत निवासी टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज०)।
2. विजय सिंह पुत्र श्री लूण सिंह जाति राजपूत निवासी टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज०)।
3. गुरशरण सिंह पुत्र श्री जसवीर सिंह जाति कम्बोज निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज०)।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

अपील विरुद्ध आदेश/निर्णय दिनांक 18.01.2023 द्वारा तहसीलदार राजस्व टिब्बी, जिसके जरिये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टिब्बी द्वारा धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विभाजन किया गया, बयमुराद मनसुखी आदेश/निर्णय एवं स्वीकार किये जाने अपील।

उपस्थितः— 1. श्री राजीव कुलश्रेष्ठ अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री प्रधुमन सिंह परमार अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 01 व 02।
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

## —:निर्णयः—

दिनांकः—04.08.2025

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण की कृषिभूमि चक 8 जीजीआर, 6 जीजीआर एवं 7 एसआरडब्ल्यू सयुक्त खाता में दर्ज थी जिसमें चक 8 जीजीआर के खाता संख्या 242/236 में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सख्या 1 व 2 के नाम 5.882 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर, चक 6 जीजीआर के खाता सख्या 152/132 में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सख्या 1 व 2 के नाम 6.515 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर एवं इसी चक के खाता संख्या 118/112 में अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण के नाम कुल 1.366 हेक्टेयर जिसमें अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रत्येक का 337/2732 हिस्सा, प्रत्यर्थी सख्या 2 का 169/1366 हिस्सा एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 का 430/683 हिस्सा एवं चक 7 एसआरडब्ल्यू के खाता संख्या 64/60 में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का कुल 4.048 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 सगे भाई है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा वर्ष 2023 में चक 8 जीजीआर में अपने हक व हिस्सा की कृषिभूमि पर स्कूल स्थापित किया गया एवं इस संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलार्थी से यह कहा गया कि उसे स्कूल के लिये एवं भू रूपान्तरण करवाने के लिये सहखातेदार की सहमति की आवश्यकता है एवं उसके द्वारा यह कथन कर अपीलार्थी के स्टाम्प व कागजात पर हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा स्कूल का निर्माण वर्ष 2023 में प्रारम्भ कर दिया गया। अब कुछ समय पूर्व अपीलार्थी को यह जानकारी हुई है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा इस जमीन का आज तक भू



अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

रूपान्तरण नहीं करवाया गया है जिस पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा सर्वप्रथम यह जानकारी दी गई कि उसके द्वारा सम्पूर्ण कृषि भूमि का विभाजन करवा लिया गया है। इसकी जानकारी होने पर अपीलार्थी द्वारा उसकी कृषि भूमि के हुये विभाजन की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि का आवेदन किये पर उसे केवल प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 14.07.2025 को उपलब्ध करवायी गई जिसके पश्चात अपीलार्थी को इस आक्षेपित आदेश दिनाक 18.01.2023 की जानकारी हुई जिसे देखकर अपीलार्थी को अत्यधिक मानसिक आघात लगा क्योंकि उसके द्वारा इस विभाजन के सबंध में कभी कोई सहमति नहीं दी गई थी एवं यह विभाजन भी प्रत्यर्थी द्वारा कतई गलत व अविधिक रूप से मौके की स्थिति के विपरीत करवाया गया है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा पारित इस आदेश दिनांक 18.01.2023 के विरूद्ध निम्न आधारो पर यह अपील प्रस्तुत कर रहा है– इस आदेश के जरिये किये गये विभाजन में चक 6 जीजीआर के खाता संख्या 118/112 व 152/132 एव चक 7 एसआरडब्ल्यू के खाता संख्या 64/60 में अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज कृषिभूमि का विभाजन उनके हिस्सा अनुसार नही किया गया है बल्कि इन चको में उनके हिरसा को कम ज्यादा कर दिया गया है। विधि अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 4 तहसीलदार राजरव टिब्बी को धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विभाजन की स्थिति में किसी काश्तकार के हिस्सा को कम ज्यादा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी सख्या 4 द्वारा पारित यह आदेश विधि विरूद्ध रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्यर्थी संख्या 4 को घोषणा का अधिकार प्राप्त नही है जिसके लिये सक्षम न्यायालय सहायक कलेक्टर का न्यायालय है परन्तु आक्षेपित आदेश के जरिये प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा काश्तकारो की हिस्सा को कम ज्यादा कर एक प्रकार से हिस्से की घोषणा का अनुतोष भी प्रदान कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में भी आक्षेपित आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा पारित आदेश के जरिये कृषिभूमि का विभाजन भी रास्ता खाला के अनुसार नहीं किया गया है। इस आदेश के जरिये अपीलार्थी को चक 8 जीजीआर के पत्थर नम्बर 203/286 (53) का किला नम्बर 14 ता 18, 24, 25 एवं पत्थर नम्बर 203/287 (62) का किला नम्बर 25/0.190 हैक्टेयर दिया गया है। इस विभाजन अनुसार जो किला नम्बर 25 अपीलार्थी को दिया गया है वह उसे प्राप्त शेष कृषिभूमि से अत्यधिक दूरी पर है एवं इस किला नम्बर 25 में आवागमन हेतु कोई रास्ता अपीलार्थी के लिये नहीं है एवं इस किला के तीन तरफ प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की कृषिभूमि एवं एक तरफ रेलवे लाईन होने के कारण अपीलार्थी को इस किला की काश्त व इस पर पंहुच संबंधी अत्यधिक असुविधा होगी परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं देकर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। इस आक्षेपित आदेश के संबंध में अपीलार्थी की कभी कोई सहमति नहीं रही है एवं ना ही अपीलार्थी इस संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 4 के समक्ष उपस्थित ही हुआ। प्रत्यर्थी सख्या 2 द्वारा अपीलार्थी को धोखा में रखकर हस्ताक्षर करवाये गये स्टाम्प व कागजात पर फर्जी अनुबंध पत्र के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो कि विधि अनुसार न होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को इस आक्षेपित आदेश दिनाक 18.01.2023 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी जो कि माह जूलाई 2025 में प्रत्यर्थी संख्या 2 के जरिये सर्वप्रथम हुई जिस पर अपीलार्थी द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु आवेदन दिनाक 07.07.2025 को प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन पर अपीलार्थी को दिनाक 14.07.2025 को इस आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई जिस पर अपीलार्थी सर्वप्रथम इस आक्षेपित आदेश की जानकारी होने पर यह अपील अपीलार्थी द्वारा बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत की जा रही है जो कि अपीलार्थी की जानकारी की दिनाक



30(

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

14.07.2025 से अन्दर मियाद है। अपील प्रस्तुत करने में हुये इस विलम्ब को माफ करवाने के सबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा पारित आदेश कंमाक/राजस्व/खावि/45 दिनांक 18.01.2023 अपील में वर्णित आधारो पर अपास्त फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 ता 02 की और से श्री प्रधुमन सिंह परमार उपस्थित आए। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आए। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा चुनौतीधीन आदेश कंमाक/राजस्व/खावि/45 दिनांक 18.01.2023 अपास्त फरमाया जावें। बहस के समर्थन RLW 2012(2) RJ Page 1299 न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 ता 02 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथन को दोहराते हुए कथन किया की मिन प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा प्रार्थी से धोखा कर खाता विभाजन करवाया गया है। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थी व मिन प्रत्यर्थीगण द्वारा तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी के समक्ष उपस्थिति होकर सभी की सहमति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत राजीनामा प्रस्तुत कर दिनांक 18.01.2023 को आदेश पारित करवाकर खाता विभाजन करवाया गया है, जोकि पूर्ण रूप से विधि सम्मत है। प्रार्थी व मिन प्रत्यर्थीगण का खाता विभाजन होने के कारण खाता विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर प्रार्थी व मिन प्रत्यर्थी संख्या 01 काश्त करने लगे व प्रत्यर्थी संख्या 02 एक समाजसेवी व प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के कारण मिन प्रत्यर्थी संख्या 02 ने वर्ष 2023 में स्कूल स्थापित करने के लिए नियमानुसार भूमि रूपांतरण करवाने का प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत टिब्बी के समक्ष था, लेकिन ग्राम पंचायत टिब्बी नगरपालिका बन जाने के कारण समय लगा और अब प्रस्तुत किया। मिन प्रत्यर्थी संख्या 02 की हक व हिस्सा की खाता विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का भूमि रूपांतरण हो गया और मिन प्रत्यर्थी संख्या 02 ने स्कूल के भवन निर्माण का कार्य अनुमति प्राप्त कर शुरू कर दिया व प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा समस्त कानूनी व विधिक प्रक्रिया अपनाकर व समस्त नियम व शर्तों की पालना कर स्कूल के संचालन के लिए सभी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये स्कूल परिसर और भवन का निर्माण करवाया गया है जो पूर्ण रूप से विधि सम्मत है। यह कथन अस्वीकार है कि तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा पारित आदेश कतई गलत व विधि विरुद्ध है और मिन प्रत्यर्थीगण ने उक्त आदेश पारित करवाने के उपरांत प्रार्थी से छुपाया हो. असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी को उक्त आदेश की शुरू से जानकारी रही है क्योंकि उक्त आदेश सभी की सहमति व राजीनामा से सभी की उपस्थिति में पारित किया गया था, जोकि विधि सम्मत निर्णय है. जो अपीलार्थी व मिन प्रत्यर्थीगण के अधिकारों को सुरक्षित करते है। यह कथन भी अस्वीकार है कि मिन प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रार्थी को धमकी दी गई हो कि वह खाता विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि को विक्रय कर अंतरित कर देंगे असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 02 ने खाता विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि को रूपांतरण करवाने के उपरांत स्कूल भवन का निर्माण स्कूल संचालन करने के लिए करवाया है। प्रार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी शुरू से है व प्रार्थी लालची किस्म का व्यक्ति है। प्रार्थी प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा समाज की भलाई के लिए बनाये गये स्कूल भवन को देखकर प्रार्थी के मन में लालच आ गया और प्रार्थी की अपील मियाद बाहर होने के कारण उक्त चरण में प्रार्थी द्वारा केवल मात्र अपने प्रार्थना पत्र को रंग देने के गर्ज से उक्त चरण में मिथ्या व मनगढंत और असत्य कथन अंकित किये गये है



अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

जो किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है और ना ही प्रार्थी के पास साबित करने का कोई साक्ष्य है। प्रार्थी द्वारा उक्त अनवानी शीर्षक की अपील में मिथ्या कथन अंकित कर लगभग अढाई वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है. जो काविली खारिज है। प्रार्थी द्वारा बिना किसी अधिकारिता के उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या व असत्य कथनों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है और प्रार्थी द्वारा केवल मिन प्रत्यर्थीगण को तंग व परेशान करने के आशय से अपील प्रस्तुत किया है जो काबिल निरस्ती है। प्रार्थी को उक्त आदेश की शुरू से जानकारी रही है क्योंकि उक्त आदेश सभी की सहमति व राजीनामा से सभी की उपस्थिति में पारित किया गया था, जोकि विधि सम्मत निर्णय है, जो अपीलार्थी व मिन प्रत्यर्थीगण के अधिकारों को सुरक्षित करते है। उक्त अपील को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्राथी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है और प्रार्थी द्वारा केवल गिन प्रत्यर्थीगण को तंग व परेशान करने के आशय से अपील प्रस्तुत किया है जो काबिल निरस्ती है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया।

1. प्रकरण में प्रथमतः विलम्ब के बिन्दू का निस्तारण किया जाना है। अपीलांट द्वारा उक्त विभाजन के पश्चात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा टिब्बी से ऋण प्रश्नगत भूमि को रहन रखकर लिया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 से होती है।
2. प्रकरण में विभाजन के पश्चात दर्ज नामान्तकरण संख्या 2002 दिनांक 21.01.2023 में भी भूमि के रहन होने का अकंन है, इससे स्पष्ट होता है की अपीलांट को प्रश्नगत विभाजन आदेश कंमाक/राजस्व/खावि/45 दिनांक 18.01.2023 की पूर्णत्या जानकारी थी और जानकारी के बावजूद समय पर अपील दायर नही की गई।

ऐसी स्थिति में विलम्ब माफ किया जाना न्यायोचित नही है। अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट मियाद अवधि से बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। तहसीलदार (भू.अ.) टिब्बी द्वारा जारी आदेश कंमाक/राजस्व/खावि/45 दिनांक 18.01.2023 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हंसराज मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)